भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1288

06.12.2021 को उत्तर के लिए

सीएएमपीए निधि का उपयोग

1288. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के विशेष संदर्भ में प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) निधि के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) पिछले वर्ष राज्यों, विशेषकर कर्नाटक को कितनी राशि दी गई है;

(ग) जनवरी, 2019 से मार्च, 2020 तक कितनी राशि एकत्रित की गई और इस राशि को राज्यों को वितरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मंत्रालय किस तरीके से यह सुनिश्चित करेगा की कैम्पा निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उन्हें जारी किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 दिनांक 30.09.2018 से लागू है। तब से, तैंतीस (33) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के जन लेखाओं के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (राज्य निधि) की व्यवस्था की गई और इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु इन राज्यों में राज्य निधि के प्रबंधन और उसके उपयोग के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य काम्पा) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएएफ की 48,606.39 करोड़ रुपए की धनराशि 32 राज्यों को अंतरित की गई। संबंधित राज्य काम्पा के अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के अनुसार राज्य निधि का उपयोग किया गया। राज्य निधि की, की गई व्यवस्था, राज्य काम्पा का किया गया गठन और सीएएफ के अंतरण की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-I** में संलग्न है। वर्ष 20219-20, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए संबंधित राज्य काम्पा के एपीओ का अनुमोदन **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के दौरान एकत्रित की गई सीएएफ या प्रतिपूरक उगाही का विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है। राज्यों को सीएएफ का वितरण एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) राज्यों के पास स्वयं के स्थापित किए हुए निगरानी कार्यतंत्र हैं। हालांकि, संबंधित राज्य काम्पा और राज्यों के वार्षिक संचालन योजना में शामिल राज्य निधि से शुरू किए गए कार्यों की स्वतंत्र सहयोगी निगरानी और मूल्यांकन तथा त्रि-पक्षीय निगरानी में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) और अन्य कार्यकलापों की आंतरिक और त्रि-पक्षीय निगरानी करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य काम्पा की राज्य कार्यकारी समिति और राज्य संचालन समिति द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए वांछित अवधि सहित, प्रत्येक सभी अनुज्ञेय भौतिक कार्यकलापों और लक्ष्यों के 'अपेक्षित परिणामों' की निगरानी की जाएगी।

******

अनुबंध-I

'सीएएमपीए निधि का उपयोग' के संबंध में दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए श्री जी. एम. सिद्देश्वर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य निधि की, की गई व्यवस्था, राज्य काम्पा का गठन और प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतरण की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा (07.10.2021 को)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्या राज्य निधि की व्यवस्था की गई है	क्या राज्य काम्पा का गठन किया गया है	अंतरित निधियां (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	हां	हां	16.41
2	आंध्र प्रदेश	हां	हां	1734.81
3	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	1588.72
4	असम	हां	हां	560.81
5	बिहार	हां	हां	522.95
6	चंडीगढ़	हां	हां	11.38
7	छत्तीसगढ	हां	हां	5791.70
8	दादर और नगर हवेली	हां	हां	0.00
9	दिल्ली	हां	हां	128.62
10	गोवा	हां	हां	238.16
11	गुजरात	हां	हां	1484.60
12	हरियाणा	हां	हां	1282.65
13	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	1660.72
14	जम्मू और कश्मीर	हां	हां	764.54
15	झारखंड	हां	हां	4158.02
16	कर्नाटक	हां	हां	1350.37
17	केरल	हां	हां	81.59
18	लद्दाख	हां	हां	249.27
19	मध्य प्रदेश	हां	हां	5196.69
20	महाराष्ट्र	हां	हां	3844.24
21	मणिपुर	हां	हां	309.76
22	मेघालय	हां	हां	163.31
23	मिजोरम	हां	हां	212.98
24	ओड़िशा	हां	हां	5933.98
25	पंजाब	हां	हां	1040.84
26	राजस्थान	हां	हां	1748.26
27	सिक्किम	हां	हां	392.36
28	तमिलनाडु	हां	हां	113.42
29	तेलंगाना	हां	हां	3110.38
30	त्रिपुरा	हां	हां	183.65
31	उत्तर प्रदेश	हां	हां	1819.63
32	उत्तराखंड	हां	हां	2675.09
33	पश्चिम बंगाल	हां	हां	236.48
कुल				**48606.39**

अनुबंध-II

'सीएएमपीए निधि का उपयोग' के संबंध में दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए श्री जी. एम. सिद्देश्वर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के अनुमोदित परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा				**[17.11.2021 को]**
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	2.13	-
2	आंध्र प्रदेश	322.97	330.82	323.24
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	155.46	190.56
4	असम	55.89	88.34	89.68
5	बिहार	140.18	239.47	100.57
6	चंडीगढ़	1.87	2.26	3.60
7	छत्तीसगढ	848.51	1346.92	2465.67
8	दिल्ली	0.00	19.55	16.15
9	गोवा	17.95	32.68	21.17
10	गुजरात	0.00	240.69	200.00
11	हरियाणा	96.84	203.95	317.51
12	हिमाचल प्रदेश	145.82	158.38	138.10
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	184.83	196.53
14	झारखंड	399.29	376.56	434.62
15	कर्नाटक	146.22	212.94	321.09
16	केरल	0.00	15.79	25.13
17	मध्य प्रदेश	506.38	860.96	713.46
18	महाराष्ट्र	499.38	599.32	588.27
19	मणिपुर	30.36	27.79	25.09
20	मेघालय	0.00	33.97	36.40
21	मिजोरम	19.23	32.66	18.08
22	ओडिशा	610.52	773.39	901.03
23	पंजाब	64.73	177.85	218.07
24	राजस्थान	267.69	280.98	286.71
25	सिक्किम	54.38	66.90	84.35
26	तमिलनाडु	0.00	66.63	0.00
27	तेलंगाना	510.00	483.78	752.71
28	त्रिपुरा	16.74	21.51	39.09
29	उत्तर प्रदेश	285.68	442.01	594.53
30	उत्तराखंड	218.00	353.64	726.88
31	पश्चिम बंगाल	70.07	74.00	58.30
	कुल	**5328.70**	**7906.16**	**9886.59**

अनुबंध-III

'सीएएमपीए निधि का उपयोग' के संबंध में दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए श्री जी. एम. सिद्देश्वर द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1288 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

जनवरी 2019 से मार्च, 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण निधि के संबंध में एकत्रित की गई सूचना			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**कुल पावती**
आंध्र प्रदेश	7,57,94,310.00	9,58,83,860	17,16,78,170.00
अंडमान निकोबार	3,74,64,96,151.00	1,21,18,51,372.00	4,95,83,47,523.00
अरुणाचल प्रदेश	30,37,65,213.00	6,81,05,08,915.00	7,11,42,74,128.00
असम	1,03,78,26,336.00	1,58,87,85,465.00	2,62,66,11,801.00
बिहार	36,99,21,510.50	41,18,27,561.00	78,17,49,071.50
चंडीगढ़	27,69,705.00	20,14,510.00	47,84,215.00
छत्तीसगढ़	2,41,93,88,993.00	2,15,93,07,558.80	4,57,86,96,551.80
दादर नगर हवेली	2,40,94,188.00	1,31,35,257.00	3,72,29,445.00
दमन और दीव	-	1,20,07,982.00	1,20,07,982.00
दिल्ली	30,93,91,604.00	9,02,98,571.00	39,96,90,175.00
गोवा	15,15,389.00	-	15,15,389.00
गुजरात	2,35,88,89,911.70	1,38,62,10,708.80	3,74,51,00,620.50
हरियाणा	2,76,40,76,943.43	1,96,50,71,474.19	4,72,91,48,417.62
हिमाचल प्रदेश	1,52,14,33,216.00	83,27,33,745.00	2,35,41,66,961.00
जम्मू कश्मीर	1,46,45,00,000.00		1,46,45,00,000.00
झारखंड	6,45,21,62,109.56	5,14,64,95,529.05	11,59,86,57,638.61
कर्नाटक	74,14,66,919.00	50,89,81,068.00	1,25,04,47,987.00
केरल	59,620.00	4,35,76,123.00	4,36,35,743.00
मध्य प्रदेश	9,02,94,59,656.80	4,31,04,49,683.71	13,33,99,09,340.51
महाराष्ट्र	5,52,86,87,069.83	2,43,02,58,519.00	7,95,89,45,588.83
मणिपुर	32,81,31,121.00	19,29,87,290.00	52,11,18,411.00
मेघालय	1,73,30,750.96	5,65,31,026.80	7,38,61,777.76
मिजोरम	1,56,86,15,865.00	4,65,49,480.00	1,61,51,65,345.00
ओडिशा	4,73,36,31,354.00	3,06,17,97,487.00	7,79,54,28,841.00
पंजाब	1,49,67,73,915.49	30,17,28,672.44	1,79,85,02,587.93
राजस्थान	67,22,07,946.00	33,29,18,548.35	1,00,51,26,494.35
सिक्किम	54,77,76,597.00	-	54,77,76,597.00
तमिलनाडु	13,12,32,455.00	6,82,75,956.00	19,95,08,411.00
तेलंगाना	5,81,13,23,433.00	70,47,54,901.40	6,51,60,78,334.40
त्रिपुरा	50,66,55,747.00	33,64,61,069.00	84,31,16,816.00
उत्तर प्रदेश	1,99,33,93,201.07	1,07,09,00,898.00	3,06,42,94,099.07
उत्तराखंड	2,55,86,39,954.00	1,73,25,88,060.00	4,29,12,28,014.00
पश्चिम बंगाल	88,48,06,155.00	23,40,91,265.00	1,11,88,97,420.00
कुल	**59,40,22,17,340.34**	**37,15,89,82,556.54**	**96,56,11,99,896.88**

*****